न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :52/2022

वादीगण–

1. रामदेव पुत्र शंकरलाल
2. प्रभुराम पुत्र शंकरलाल
3. कालूराम पुत्र शंकरलाल

जातियान–जाट, निवासीगण–जायल, तहसील जायल, जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. शंकरलाल पुत्र हीराराम, जाति जाट, निवासी–जायल, नागौर।
2. भंवरी पुत्री शंकरलाल पत्नी रामप्रसाद जाति–जाट, हाल निवासी–कठौती, तहसील जायल।
3. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थिति :–

1. श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री दशरथसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 14/05/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 सगे भाई बहन है जो प्रतिवादी संख्या 1 शंकरलाल की जांयदा सन्ताने हैं। प्रतिवादी संख्या 1 के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 के अलावा अन्य कोई जांयदा संताने नहीं है। वादीगण एवं प्रतिवादींण के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा जायल तहसील जायल में खेत खसरा नं. 1842 रकबा 1.7969 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1851 रकबा 1.5742 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2289 रकबा 4.3382 हैक्टेयर रहती चली आई है। वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरीनक्शा जो कि वादपत्र का अभिन्न भाग है। वादीगण का अपने पिता के नाम दर्ज खातेदारी भूमि में पुस्तैनी बडेर की भूमि होने से जन्म से ही हक अधिकार रहता रहा है। वादीगण समझ समझाईश से अपने पिता के साथ मुतदाविया खेतायों पर काश्त कृषण कर रहे है परन्तु खातेदारी में वादीगण का नाम दर्ज नहीं है। जिससे वादीगण अपने जोत की घोषणा करवाने के हक अधिकारी है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा वाद के पैरा संख्या 3 के (क से घ) के अनुसार कर लिया है उसी अनुसार कब्जा काश्त है जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी प्रभुराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 1851 रकबा 1.5742 हैक्टेयर पूरा, खेत खसरा नंबर 2289 रकबा 4.3382 हैक्टेयर में से 0.

14/05/2022
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 1842 रकबा 1.7968 हैक्टेयर पूरा, व खेत खसरा नंबर 2289 रकबा 4.3382 हैक्टेयर में से 0.8093 हैक्टेयर मध्य व दक्षिणी पूर्वी हिस्सा नजरीनक्शानुसार रखा गया है जिसमें मध्य भाग की उतरी दक्षिण चौड़ाई 10 फीट रखी गई है। वादी कालुराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 2289 रकबा 4.3382 हैक्टेयर में से 2.7196 हैक्टेयर उतरी हिस्सा नजरीनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 कमश शंकरलाल वृद्व होने से भंवरी देवी के हक बंट में जेवराम, पशुधन आदि रखे जाने से इनके हक बंट कब्जा काश्त में मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नही रखी गई है। अतः मौजा जायल के खेत खसरा नंबर 1842 रकबा 1.7969 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1851 रकबा 1.5742 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2289 रकबा 4.3382 हैक्टेयर भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करते हुवे वाद के पैरा संख्या 3 के उप पैरा अनुसार सादर डिक्री फरमाई जावे क्यों कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 ने दिनांक 08.03.2022 को जरिये अधिवक्ता ईकबाली जबाब पेश किया। जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ ने की तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की पहचान अधिवक्ता श्री दशरथसिंह राठौड़ ने की। ईकबाली जबाब शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 स्वयं का सम्मन स्वंय तामिल होकर प्राप्त है , जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है जिन्होने राजहित सुरक्षित रखते हुवे वाद के मिसल में अनापति जाहिर की है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 द्वारा प्रकरण के संबंध में ईकबाली जबाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 3 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह भूराराम रामदेव पुत्र शंकरलाल के पेश हुवे तथा नकल जमाबन्दी ग्राम जायल तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 2068 प्रदर्श–1 पेश हुवे। अधिवक्ता वादीगण की द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 2 द्वारा पत्रावली में जरिये ईकबाली जबाब वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक ईकबाली जबाब में वर्णित पैराज एवं माफिक नजरीनक्शानुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 2 के हक बंट की भूमि का जरिये ईकबाली जबाब आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक ईकबाली जबाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा

काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 08.03.2022 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 के द्वारा प्रस्तुत ईकबाली जबाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा नजरीनक्शानुसार अंकित गया है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 08.03.2022 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा जायल के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा मौजा जायल के खेत खसरा नं. 1842 रकबा 1.7969 हैक्टेयर, पूरा वादी रामदेव के हक बंट में रखा गया है तथा खसरा नंबर 1851 रकबा 1.5742 हैक्टेयर पूरा वादी प्रभुराम के हक बंट में रखा गया है तथा शेष खेत खसरा नंबर 2289 रकबा 4.3382 हैक्टेयर में से 2.7196 हैक्टेयर वादी कालूराम तथा इसी खसरे में से 0.8093 हैक्टेयर भूमि वादी प्रभुराम के हक बंट में नजरीनक्शानुसार रखी गई है तथा इसी खसरे में से 0.8093 हैक्टेयर भूमि वादी रामदेव के हक बंट में नजरीनक्शानुसार रखी गई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है ना ही अन्य भूमि होने तथा पशुधन, जेवरात रखे जाने के साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किये गये है इसलिये मामला भूमि अंतरण का प्रतीत होता है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क राजहक में लिया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः मौजा जायल तहसील जायल में खेत खसरा नं. 1842 रकबा 1.7969 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1851 रकबा 1.5742 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2289 रकबा 4.3382 हैक्टेयर भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 शंकरराम के साथ सहखातेदार घोषित कर हम वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

– : : आदेश : : –

यत् वादी का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा जायल तहसील जायल में खेत खसरा नं. 1842 रकबा 1.7969 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1851 रकबा 1.5742 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2289 रकबा 4.3382 हैक्टेयर भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 शंकरराम के साथ सहखातेदार घोषित कर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी प्रभुराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 1851 रकबा 1.5742 हैक्टेयर पूरा, खेत खसरा नंबर 2289 रकबा 4.3382 हैक्टेयर में से 0.8093 हैक्टेयर दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. वादी रामदेव के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 1842 रकबा 1.7968 हैक्टेयर पूरा, व खेत खसरा नंबर 2289 रकबा 4.3382 हैक्टेयर में से 0.8093 हैक्टेयर मध्य व दक्षिणी पूर्वी हिस्सा नजरीनक्शानुसार रखा गया है जिसमें मध्य भाग की उतरी दक्षिण चौड़ाई 10 फीट रखी गई है।
3. वादी कालुराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 2289 रकबा 4.3382 हैक्टेयर में से 2.7196 हैक्टेयर उतरी हिस्सा नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 कमश शंकरलाल वृद्व होने से भंवरी देवी के हक बंट में जेवराम, पशुधन आदि रखे जाने से इनके हक बंट कब्जा काश्त में मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नही रखी गई है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क राजहक में जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।
5. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। **(रहन होने पर)**
6. वाद पत्र के साथ सलंग्न नजरीनक्शा निर्णय का अभिन्न अंग माना जावेगा।

निर्णय आज दिनांक 14/05/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

14/05/2022

(स्वीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :52 / 2022

वादीगण–

1. रामदेव पुत्र शंकरलाल
2. प्रभुराम पुत्र शंकरलाल
3. कालूराम पुत्र शंकरलाल
   जातियान–जाट, निवासीगण–जायल, तहसील जायल, जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. शंकरलाल पुत्र हीराराम, जाति जाट, निवासी–जायल, नागौर।
2. भंवरी पुत्री शंकरलाल पत्नी रामप्रसाद जाति–जाट, निवासी–कठौती, तहसील जायल।
3. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

उपस्थिति :–

1. श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री दशरथसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 2 श्री दशरथसिंह राठौड़ अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –यत् वादी का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा जायल तहसील जायल में खेत खसरा नं. 1842 रकबा 1.7969 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1851 रकबा 1.5742 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2289 रकबा 4.3382 हैक्टेयर भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 शंकरराम के साथ सहखातेदार घोषित कर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी प्रभुराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 1851 रकबा 1.5742 हैक्टेयर पूरा, खेत खसरा नंबर 2289 रकबा 4.3382 हैक्टेयर में से 0.8093 हैक्टेयर दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. वादी रामदेव के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 1842 रकबा 1.7968 हैक्टेयर पूरा, व खेत खसरा नंबर 2289 रकबा 4.3382 हैक्टेयर में से 0.8093 हैक्टेयर मध्य व दक्षिणी पूर्वी हिस्सा नजरीनक्शानुसार रखा गया है जिसमें मध्य भाग की उतरी दक्षिण चौड़ाई 10 फीट रखी गई है।

14/05/2022
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

3. वादी कालुराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 2289 रकबा 4.3382 हैक्टेयर में से 2.7196 हैक्टेयर उतरी हिस्सा नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 कमश शंकरलाल वृद्व होने से भंवरी देवी के हक बंट में जेवराम, पशुधन आदि रखे जाने से इनके हक बंट कब्जा काश्त में मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नही रखी गई है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क राजहक में जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।
5. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। **(रहन होने पर)**
6. वाद पत्र के साथ सलंग्न नजरीनक्शा निर्णय का अभिन्न अंग माना जावेगा।

निर्णय आज दिनांक 14/05/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ..... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मिजान			मिजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)